न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया **बनाम** दरयाबबाई

किस्म मुकदमा धारा – 223 **मि.नं.** 72/2019 **सन** ....

अभिभाषक अपीलान्ट सतीश चंद गुप्ता **अभिभाषक रेस्पोडेन्ट** ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24-11-23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अन्य रा... ...र्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-12-23 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
15/12/23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्य से बाहर~~/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/2/24 को पेश हो। राकेश रीडर भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	
02-02-24	पत्रावली कैम्प कोर्ट झालावाड़ में पेश हुई। अभि० अपीलांट उपस्थित। अभि० अपीलांट द्वारा पत्रावली को NOTE PRESS करने हेतु निवेदन किया तथा आदेशिका पर NOTE PRESS का अंकन कर हस्ताक्षर मय दिनांक दर्ज किये। अभिभाषक अपीलांट के पत्रावली को NOTE PRESS करने के निवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली NOTE PRESS में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	Not Press (सतीश चंद गुप्ता) 02/02/24

शेयर
श्री सतीशचन्द गुप्ता एडवोकेट द्वारा
पेश की / राजस्व रीडर
पेश हो

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा
9-9-19

न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी एंव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी महोदय कोटा

अपील नम्बर /2019

सैट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पचपहाड़ -- अपीलान्ट

बनाम

1. दरयाव बाई पुत्री किशनलाल गुर्जर
2. भंवरलाल आत्मज बापूलाल गुर्जर
3. ऊंकारलाल आत्मज बापूलाल गुर्जर
4. रामसिंह आत्मज बापूलाल गुर्जर
5. रोशन आत्मज बापूलाल गुर्जर
6. करण सिंह आत्मज बापूलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासीगण पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज0

-- रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

अपील बनाराजगी आदेश व डिक्री दिनांक 25/05/2015
उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट 1 व रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 5 ने आपस में दुरभि सन्धि कर दिनांक 25/05/2015 को केम्प कोर्ट मिश्रौली में दावा बाबत घोषणार्थ/बंटवारा/स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट ने सोची समझी योजना के तहत जानबूझकर अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया एंव अपीलान्ट जिसका हित रेस्पोडेन्ट नं. 1 के खातेदारी की भूमि में निहित था आराजी में हितबद्ध पक्षकार था जिसे जानबूझकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्षकार नही बनाया गया एंव न्यायालय में सही तथ्यों को छूपाकर गलत तथ्यों के आधार पर दुरभि सन्धि कर प्रकरण में राजीनामा पेश कर पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजी के बंटवारे के डिक्री प्राप्त कर ली एंव प्राप्त शुदा डिक्री के आधार पर बंटवारा भी करवा लिया जो विधि सम्मत नही हैं एंव प्रारम्भ से ही शून्य एंव विधि विपरित हैं इस कारण से अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत हैं :-

1. यह कि ग्राम ऐरी सम्वत 2065 से 2068 में जमाबन्दी संख्या 21 में खसरा नम्बर 7, 8, 9, 14, 20, 28, 30, 45, 50, 53, 67, 69, 73, 76, 78, 79, 83, 84, 85 कुल किता 19 कुल रकबा 59 बीघा 03 बिस्वा कृषि आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते में दर्ज थी एंव खातेदार दरयाव बाई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अपीलान्ट बैंक में ऋण प्राप्ति हेतू आवेदन किया जिस पर अपीलान्ट बैंक द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई एंव रेस्पोडेन्ट नं. 1 के खाते की भूमि पर नामान्तरण नम्बर 183 दिनांक 25/04/2011 अपीलान्ट बैंक का रहन दर्ज किया गया है। नकल जमाबन्दी संलग्न अपील है।

शाखा प्रबन्धक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा-पचपहाड़, झालावाड़

निरन्तर 2 पर...............